AMAR UJALA, NOIDA, 9.11.2017

Page No. 1, Size:(7.13)cms X (7.32)cms.

बीमा पॉलिसी को आधार से जोड़ना हुआ अनिवार्य

मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध कानून के तहत बनाया गया जरुरी

नई दिल्ली। बीमा पॉलिसी को आधार से जोड़ना अनिवार्य हो गया है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सभी बीमा कंपनियों से इसे लागू करवाने को कहा है। इरडा ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध कानून के तहत इसे अनिवार्य बनाया गया है। सरकार ने जून में अधिसूचना जारी कर कहा था कि बीमा सहित किसी भी वित्तीय सेवा का लाभ लेने के लिए आधार और पैन नंबर को जोड़ना अनिवार्य कर दिया था। पहले से चल रही बीमा पॉलिसी को भी आधार से जोड़ना होगा। एजेंसी